

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 12.12.2025 को दोपहर 11:00 बजे श्री दीन बंधु सिंह, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री पारस मणि त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त
 - ii. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा
 - iii. सुश्री सुनीता जोशी, एफटीडीओ, कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), सीएलए, नई दिल्ली।
 - iv. सुश्री अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, नोएडा।
- इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) श्री नोमान हाफिज, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) श्री रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी और (iv) श्री सुशील कुमार सहायक विकास आयुक्त (v) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी/डीलिंग हैंड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
 - प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

दिनांक 05.11.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

अनुमोदन समिति को बताया गया कि मेसर्स इनजेन्युइटी गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड से 05.11.2025 को हुई मीटिंग के मिनट्स के अनुच्छेद 3.2.1 में निदेशक के नाम में सुधार के संबंध में एक सूचना मिली है, जिसमें नए निदेशक का नाम गलती से 'मिस्टर प्रवीण कुमार सिंघल' लिखा गया है, जबकि सही नाम 'प्रवेश कुमार सिंघल' है। अनुमोदन समिति ने निदेशक का सही नाम 'प्रवेश कुमार सिंघल' नोट किया, और 05.11.2025 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को भी मंजूरी दी।

मद संख्या 2. सामग्री सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव:

2.1: मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड, विकासकर्ता

2.1.1. मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड के निदेशक-खरीद श्री मुकेश कुमार चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्री की जरूरत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सामग्री SEZ की मौजूदा भवनों के नवीनीकरण और आंतरिक भाग काम के लिए जरूरी हैं।



2.1.2 समिति ने देखा कि विकासक ने अधिकृत संचालन यानी "प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन" (अनुलग्नक-III) के तहत क्रमांक संख्या 17 पर '2000 किलोग्राम शीतल गैस' का प्रस्ताव दिया है, जिसे देश में ही खरीदा जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना नंबर 62/2015-2020 तारीख 23.03.2022 के अनुसार, कुछ 'शीतल गैस' के निर्यात पर 'प्रतिबंध' है। SEZ एक्ट, 2005 की धारा 2(m)(ii) के अनुसार, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) से किसी इकाई या विकासक को सामान की सप्लाई या सेवाएं देना 'निर्यात' माना जाएगा। इसलिए, विकासक को प्रस्तावित 'शीतल गैस' का खास नाम और ITC HS कोड देना होगा।

2.1.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, बाकी सामानों की लिस्ट को इस शर्त के साथ मंजूरी दी कि स्पेसिफाइड ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित / वर्जित' प्रोडक्ट्स की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय '2000 किलोग्राम शीतल गैस' के, जो क्रमांक नंबर 17 पर अधिकृत संचालन यानी "प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन" (अनुलग्नक-III) के तहत है, जिसे मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड, विकासक ने प्लॉट नंबर TZ-02 और 2A, टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने IT/ITES SEZ में निम्नलिखित अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए प्रस्तावित किया है:-

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
i.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	313.5
ii.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल (Network) आदि शामिल हैं	4	197.50
iii.	प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन	21	95.70
iv.	छिड़काव, आग और धूम संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	7	41.80
v.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	24.80
vi.	प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/कैंटीन।	27	35.00
		कुल	707.85

2.2: मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपर

2.2.1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने IT/ITES SEZ में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:-

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
i.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	2.11
ii.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल (Network) आदि शामिल हैं	4	37.38
iii.	प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन	21	123.58
iv.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	7	25.01
v.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफानी जल नालियाँ और उचित क्षमता वाले जल चैनल।	02	2.52
vi.	ठोस एवं तरल अपशिष्ट संग्रहण, उपचार एवं निपटान संयंत्र जिसमें पाइपलाइनें एवं सीवेज एवं कचरा निपटान के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना, सीवेज उपचार संयंत्र शामिल हैं।	03	0.48
		कुल	191.08

2.2.2. यह मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित / निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद संख्या 3. कंपनी के निदेशकों में बदलाव की सूचना।

3.1. मेसर्स किंड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।



3.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और पूरी बातचीत के बाद, वाणिज्य मंत्रालय (DOC) के निर्देश संख्या 109, तारीख 18.10.2021 के अनुसार, मेसर्स किङ्गिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक में किए गए निम्नलिखित बदलावों पर ध्यान दिया, जो उसके इकाई के संबंध में हैं, जो अर्था इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड IT/ITES SEZ, प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है:

पूर्व निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री लिंगराजू स्वकर	1. श्री लिंगराजू स्वकर
2. श्री सुभाष वैकिटरमन	2. श्री सुभाष वैकिटरमन
3. सुश्री रजिता सिंह	3. सुश्री रजिता सिंह
	4. श्री सौरभ अवस्थी

3.1.2. यह मंजूरी वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश नंबर 109, तारीख 18.10.2021 में बताए गए सेफगाइर्स के पालन के अधीन है।

मद नंबर 4. इकाई के एरिया को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव:

4.1. मेसर्स जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-II)।

4.1.1. अनुमोदन समिति ने पाया कि SEZ एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें कहा गया हो कि SEZ इकाई के क्षेत्र के विस्तार या आंशिक रूप से हटाने के प्रस्तावों पर अनुमोदन समिति विचार करेगी। ऐसे प्रस्तावों को फ़ाइल पर नोट किया जा सकता है।

मद नंबर 5. सुविधा प्रदाताओं के संबंध में जगह के आवंटन/समर्पण के लिए सूचना

5.1. मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक

5.1.1. अनुमोदन समिति ने मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में IT/ITES SEZ प्रसंकरण क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधा प्रदाताओं को जगह आवंटन करने के लिए दी गई सूचना पर ध्यान दिया:-

क्र.सं.	आवंटी का नाम	आवंटित क्षेत्र और स्थान	जिसके लिए जगह आवंटित की गई है	आवंटन की तारीख	BoA द्वारा अनुमोदित अधिकृत गतिविधि के तहत
i.	मेसर्स गुबचा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	748 वर्ग फुट (69.49 वर्ग मीटर)	"डोहफुल" ब्रांड नाम के तहत फूड और	03.10.2025	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप,

		एमिनिटी ब्लॉक-II में।	बेवरेज को सेटअप और ऑपरेट करना।		कैंटीन और कैटरिंग सुविधाओं सहित खाने की सेवाएं।
--	--	-----------------------	--------------------------------	--	---

5.2. मेसर्स गोल्डन टावर प्राइवेट लिमिटेड, विकासक

5.1.1 अनुमोदन समिति ने मेसर्स गोल्डन टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपर द्वारा प्लॉट नंबर 08, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में IT/ITES SEZ के प्रसंस्करणक्षेत्र में निम्नलिखित सुविधा प्रदाताओं के संबंध में जगह के आवंटन और सरेंडर के लिए दी गई सूचना पर ध्यान दिया:-

क्र.सं.	आवंटी का नाम	आवंटित क्षेत्र और स्थान	जिसके लिए जगह आवंटित की गई है	आवंटन की तारीख
i.	मेसर्स खाऊ.इन	काउंटर नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर (कैंटीन), बिल्डिंग नंबर B-1 पर 600 वर्ग फुट।	भोजन काउंटर	24.09.2025 (आवंटन)
ii.	मेसर्स मार्केटिंग एक्सप्रेस	काउंटर नंबर 73, ग्राउंड फ्लोर (कैंटीन), बिल्डिंग नंबर B-1 पर 200 वर्ग फुट।	कॉफी, चाय और स्नैक्स का स्टॉल	15.10.2025 (आवंटन)
iii	मेसर्स एडमायर एंटरप्राइजेज	काउंटर नंबर 93, ग्राउंड फ्लोर (कैंटीन), बिल्डिंग नंबर B-1 पर 300 वर्ग फुट।	भोजन काउंटर	01.11.2025 (आवंटन)
iv	मेसर्स वासु किचन	काउंटर नंबर 93, ग्राउंड फ्लोर (कैंटीन), बिल्डिंग नंबर B-1 पर 200 वर्ग फुट।	उत्तर भारतीय भोजन स्टॉल	31.10.2025 (समर्पण)

प्रक कार्यसूची मद:-

मद संख्या 6. FTWZ इकाई के LOA में अतिरिक्त ITC HS कोड शामिल करने का प्रस्ताव:-

6.1. M/s. वर्धमान कस्टम क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स।

6.1.1. अनुमोदन समिति को बताया गया कि 24.09.2024 के निर्देश संख्या 117 के अनुपालन में गठित जोनल लेवल समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तावित ITC HS कोड की जांच की है और अनुमोदन समिति द्वारा विचार के लिए सिफारिश की है।

6.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित अर्शिया नॉर्डन FTWZ लिमिटेड मल्टी-सेक्टर SEZ में उसकी इकाई के 28.12.2018 के LOA में निम्नलिखित ITC HS कोड को शामिल किया गया है:-

क्र.सं.	HSN कोड	मद विवरण
	7410	कॉपर फ़ॉइल (चाहे प्रिंटेड हो या नहीं, या कागज, पेपरबोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह के बैकिंग मटीरियल के साथ) जिसकी मोटाई (किसी भी बैकिंग को छोड़कर) 0.15 mm से ज्यादा न हो
1.	74101100	समर्थित नहीं: -- रिफाइंड तांबे का
2.	74101200	समर्थित नहीं: -- तांबे के मिश्र धातुओं का
3.	74102100	समर्थित: -- रिफाइंड तांबे का
4.	74102200	समर्थित: -- तांबे के मिश्र धातुओं का
	8546	किसी भी सामग्री के इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर
5.	85461000	कांच का
	854620	सिरेमिक का: पोर्सिलेन डिस्क और स्ट्रिंग:
6.	85462011	6.6 kV से नीचे का पोर्सिलेन
7.	85462019	अन्य। पोर्सिलेन पोस्ट इंसुलेटर:
8.	85462021	6.6 kV से कम
9.	85462022	6.6 kV या उससे अधिक लेकिन 11 kV तक
10.	85462023	11 kV से अधिक लेकिन 66 kV तक
11.	85462024	66 kV से अधिक लेकिन 132 kV तक
12.	85462029	132 kV से अधिक- पोर्सिलेन पिन इंसुलेटर:
13.	85462031	6.6 kV से कम
14.	85462032	6.6 kV या उससे अधिक लेकिन 11 kV तक
15.	85462033	11 kV से अधिक लेकिन 66 kV तक
16.	85462039	अन्य हाई टेंशन पोर्सिलेन सॉलिड कोर इंसुलेटर
17.	85462040	अन्य लो टेंशन पोर्सिलेन इंसुलेटर जिसमें टेलीग्राफ और
18.	85462050	टेलीफोन इंसुलेटर शामिल हैं
19.	85462090	अन्य।
	854690	अन्य।
20.	85469010	हीट श्रिंकेबल कंपोनेंट्स
21.	85469090	अन्य
	6406	6406 फुटवियर के पाटर्स (ऊपरी हिस्से सहित, चाहे वे बाहरी सोल के अलावा अन्य सोल से जुड़े हों या नहीं); हटाने योग्य इन-सोल, हील कुशन और इसी तरह की चीजें; गैटर, लेगिंग और इसी तरह की चीजें, और उनके

		पाटर्स
	640610	ऊपरी हिस्से और उनके पाटर्स, स्टीफनर को छोड़कर:
22.	64061010	टेक्सटाइल मटीरियल के कढ़ाई वाले ऊपरी हिस्से
23.	64061020	चमड़े के ऊपरी हिस्से (तैयार)
24.	64061030	बकरी की लाइनिंग
25.	64061040	भेड़ की लाइनिंग
26.	64061090	अन्य
27.	64062000	रबर या प्लास्टिक के बाहरी सोल और हील
	640690	अन्य;
28.	64069010	लकड़ी का
29.	64069020	तले और तैयार ऊपरी हिस्सों को छोड़कर चमड़े के हिस्से
30.	94069030	चमड़े के तले
31.	94069040	गेटर, लेगिंग और इसी तरह की वस्तुएँ
32.	94069050	गेटर, लेगिंग और इसी तरह की वस्तुओं के हिस्से
33.	94069090	अन्य

6.1.2. यह मंजूरी निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

- फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) के तहत आयात और निर्यात के लिए "प्रतिबंधित / सीमित" प्रोडक्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा SEZ नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार ही होगा।
- SEZ नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधान के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- DGFT नोटिफिकेशन / पब्लिक नोटिस / समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पोर्ट प्रतिबंध लागू होंगे।
- इकाई संबंधित केंद्रीय / राज्य मंत्रालयों / विभागों और DGFT की आयात नीति सहित संबंधित अधिकारियों से आयात / निर्यात के लिए आवश्यक 'NOC' प्राप्त करेगी।
- इकाई 24.09.2024 को जारी निर्देश संख्या 117 के माध्यम से जारी FTWZ और भण्डारण इकाई के लिए परिचालन ढांचे के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेगी।

मद संख्या 7 नई इकाई बनाने का प्रस्ताव:

7.1. मेसर्स आईक्रिस फार्मा नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड.

7.1.1. मेसर्स आईक्रिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने अशिया नॉर्दर्न FTWZ लिमिटेड मल्टी सेक्टर SEZ में एक इकाई लगाने का प्रपोजल दिया है। यह SEZ गांव इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला-बुलंदशहर (U.P.) में है। यहां चैप्टर-30 और ITC HS कोड 98041000 के तहत 93 उत्पादों की लिस्ट में आने वाले आइटम्स के लिए "भण्डारण, लेबलिंग के साथ या बिना व्यापार, बिना किसी प्रसंस्करण के पैकिंग या री-पैकिंग, कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन या सेमी नॉक्ड डाउन किट की असेंबली" की जाएगी।

एप्लीकेंट ने पांच साल के समय में 22247.05 लाख रुपये के निर्यात और 2901.80 लाख रुपये के कुल NFE का अनुमान लगाया है। एप्लीकेंट ने SEZ में 121 स्कवायर मीटर (1300 स्कवायर फीट) जगह के लिए विकासक द्वारा जारी लेटर ऑफ कंसेंट की एक कॉपी जमा की, जो 06.10.2025 को जारी किया गया था।

7.1.2. यह बताया गया कि निर्देश संख्या 117 के पालन में बनी ज़ोनल लेवल कमेटी ने 10.12.2025 को हुई अपनी बैठक में, IT HS कोड - 98041000 को छोड़कर, एप्लीकेंट द्वारा सुझाए गए ITC HS कोड को अनुमोदन समिति के पास विचार के लिए रिक्मेंड किया है। हालांकि, समिति ने देखा कि ऐसे सामान की शेल्फ-लाइफ कम होती है, इसलिए इकाई से यह साफ करने के लिए कहा जा सकता है कि वह डिस्पोजल कैसे करेगी। साथ ही, प्रपोजल में NFE अर्निंग्स के बारे में क्लैरिटी की कमी है, इस पर भी इकाई अनुमोदन समिति विचार-विमर्श कर सकती है।

7.1.3. अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक द्वारा सबमिट किए गए बिज़नेस प्लान के अनुसार, वे प्रस्तावित FTWZ यूनिट में भण्डारण में दवाएं आयात करेंगे और DTA में मरीजों को INR में भुगतान लेकर बेचेंगे। कोई फिजिकल एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जबकि, SEZ रूल्स, 2006 के नियम 18(5) का प्रोविज़ो 3 यह कहता है कि "यह भी शर्त है कि फ्री ट्रेड एंड भण्डारण क्षेत्र में एक इकाई द्वारा सभी ट्रांज़ैक्शन केवल कन्वर्टिबल विदेशी करेंसी में होंगे"। इसके अलावा, SEZ रूल्स, 2006 के नियम 18(2) के अनुसार, "अनुमोदन समिति प्रस्ताव को तभी मंज़ूर करेगी जब प्रस्ताव पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज कमाई की ज़रूरत को पूरा करता हो"। इसलिए, SEZ एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा दिया गया बिज़नेस मॉडल सही नहीं है।

7.1.4. मेसर्स आईक्रिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री प्रवीण सिकरी और मैनेजर सुश्री मनीषा सिंह अनुमोदन समिति के सामने पेश हुए और उन्होंने प्रस्ताव समझाया। श्री प्रवीण सिकरी ने बताया कि RBI सर्कुलर नंबर 10, तारीख 11.07.2022, RBI गाइडलाइंस के अनुसार भारतीय रुपये में एक्सपोर्ट रियलाइज़ेशन की अनुमति देता है। उन्होंने आगे बताया कि उनके पास एक वैकल्पिक बिज़नेस प्लान है, जिसके तहत वे INR में सीधे मरीजों को बिक्री करने के लिए सभी इंपोर्ट / DTA खरीद के लिए एक DTA इकाई स्थापित करेंगे। इस मॉडल में, सभी सामान FTWZ इकाई में वेयरहाउस किए जाएंगे और FTWZ इकाई भण्डारण और संबंधित सेवाओं के लिए DTA इकाई को इनवॉइस जारी करेगी। ये इनवॉइस कन्वर्टिबल विदेशी मुद्रा में जारी किए जाएंगे, जिससे विदेशी मुद्रा आय और SEZ नियमों का पूरा पालन सुनिश्चित होगा।

7.1.5. अनुमोदन समिति ने SEZ के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की, और पाया कि आवेदक का बिज़नेस मॉडल देश के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। कमेटी ने आगे नोट किया कि, SEZ एक्ट, 2005 की धारा 2(z)(iii) के अनुसार, 'सेवाओं' की परिभाषा में यह शामिल है कि ऐसी गतिविधियों से विदेशी मुद्रा की कमाई होनी चाहिए। उपरोक्त के आलोक में, कमेटी ने प्रस्ताव को स्थगित करने का फैसला किया और आवेदक को एक ठोस बिज़नेस मॉडल के साथ आने की सलाह दी जो SEZ के विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्यों को पूरा करे।

7.2. मेसर्स डीजीवीएस मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।



7.2.1. M/s DGVS मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अर्शिया नॉर्दर्न FTWZ लिमिटेड मल्टी सेक्टर SEZ, गांव इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला बुलंदशहर (U.P.) में एक इकाई स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें चैप्टर 72, 74, 75, 76 और 81 के तहत ITC HS कोड वाले 14 उत्पादों की सूची के तहत वस्तुओं की "भण्डारण और ट्रेडिंग" की जाएगी। आवेदक ने पांच साल की अवधि में 10400.00 लाख रुपये के निर्यात और 3060.00 लाख रुपये के कुल NFE का अनुमान लगाया है। आवेदक ने डेवलपर द्वारा 12.09.2025 को जारी पत्र के माध्यम से SEZ में 46.45 वर्ग मीटर (500 वर्ग फुट) जगह के लिए सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की।

7.2.2. M/s DGVS मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री सार्थक चौधरी और सलाहकार सुश्री नेहा मोदी अनुमोदन समिति के सामने पेश हुए और प्रस्ताव समझाया। श्री सार्थक चौधरी ने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि उनके अधिकांश ग्राहक एडवांस ऑथराइजेशन रखते हैं या SEZ से काम करते हैं, जैसे भारत फोर्ज लिमिटेड, पुणे जो SEZ में स्थित एक OEM है। FTWZ इकाई सीधे इन OEMs को आपूर्ति करेगी जो सामग्री पर फोर्जिंग और मशीनिंग करेंगे और अंततः इसे विदेशों में, मुख्य रूप से USA में अंतिम उपयोगकर्ता को फिर से निर्यात करेंगे।

7.2.3. यह सूचित किया गया कि निर्देश संख्या 117 के अनुपालन में गठित आंचलिक स्तरीय समिति ने 10.12.2025 को हुई अपनी बैठक में आवेदक द्वारा प्रस्तावित ITC HS कोड को अनुमोदन समिति द्वारा विचार के लिए अनुशंसित किया है।

7.2.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, M/s. DGVS मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को चैप्टर 72, 74, 75, 76 और 81 के तहत ITC HS कोड वाले 14 उत्पादों की सूची के तहत वस्तुओं की "भण्डारण और ट्रेडिंग" करने के लिए इकाई स्थापित करने की मंजूरी दे दी। यह मंजूरी निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

- i. जो प्रोडक्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) के तहत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए "मनाही / प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii. इकाई के अधिकृत ऑपरेशन्स का दायरा SEZ रूल्स, 2006 के रूल 18(5) के अनुसार ही होगा।
- iii. SEZ रूल्स, 2006 के रूल 18(5) के प्रोविजो के अनुसार सभी ट्रांजैक्शन सिर्फ कन्वर्टिबल विदेशी करेंसी में होंगे।
- iv. DGFT नोटिफिकेशन्स / पब्लिक नोटिस / समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पोर्ट प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई को संबंधित केंद्रीय / राज्य मंत्रालयों / विभागों और DGFT की इंपोर्ट पॉलिसी सहित संबंधित अधिकारियों से इंपोर्ट / एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी 'NOC' प्राप्त करना होगा।
- vi. इकाई को इंस्ट्रक्शन नंबर 117 दिनांक 24.09.2024 के तहत जारी FTWZ और भण्डारण यूनिट्स के लिए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

मद संख्या 8. कंपनी / LLP के शेयरधारिता स्वरूप / पार्टनर में बदलाव की सूचना।



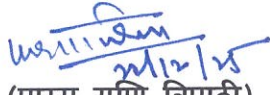
8.1. M/s GGG बिल्डर्स LLP, को-डेवलपर्स।

8.1.1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, वाणिज्य विभाग के निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार, M/s GGG बिल्डर्स LLP, जो अर्धा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड IT/ITES SEZ, प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) के को-डेवलपर हैं, के शेयरधारिता स्वरूप में निम्नलिखित बदलावों पर ध्यान दिया:-

पिछला शेयरधारिता स्वरूप			संशोधित शेयरधारिता स्वरूप		
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	% शेयर	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	% शेयर
महेंद्र कुमार गुप्ता	88000	88%	सुरेंद्र कुमार गुप्ता	55000	37%
सुरेंद्र कुमार गुप्ता	2000	2%	सुदीप गुप्ता	30000	2%
सुदीप गुप्ता	2000	2%	शगुन गुप्ता	30000	2%
शगुन गुप्ता	2000	2%	अर्था इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, श्री यश कुमार जैन के माध्यम से	825000	55%
अर्था इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, श्री यश कुमार जैन के माध्यम से	2000	2%	वेगमन्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, श्रीमती सुमन गुप्ता के माध्यम से	30000	2%
वेगमन्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, श्रीमती सुमन गुप्ता के माध्यम से	2000	2%	वेगमन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती अर्चना गोयल के माध्यम से	30000	2%
वेगमन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती अर्चना गोयल के माध्यम से	2000	2%	-	-	-

8.1.2. यह मंजूरी वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 10/06/2022-SEZ I/113199/2025 109 दिनांक 18.10.2021 में निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(पारस मणि त्रिपाठी)
संयुक्त विकास आयुक्त


(दीन बंधु सिंह)
विकास आयुक्त